

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 199/2006

संस्थित दिनांक-30.08.2006

फाईलिंग नंबर-230303000062006

महेन्द्र कुमार हिनौनिया पुत्र बी.एल. हिनौनिया,  
उम्र 33 साल निवासी गर्ल्स स्कूल किला रोड,  
श्योपुर जिला श्योपुर प्र.प्र.

.....अपीलार्थी/आरोपी

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद ,

जिला-भिण्ड (म0प्र0).....प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक  
अपीलार्थी/आरोपी द्वारा न्यायमित्र श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता

न्यायालय-श्री आर.पी. सोनकर, जे.एम.एफ.सी. गोहद द्वारा दांडिक  
प्रकरण क्रमांक-492/2001 में पारित निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक  
02/08/2006 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

### **-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक **23 मार्च-2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री आर. पी. सोनकर द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 492/2001 निर्णय दिनांक-02/08/2006 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी महेन्द्र कुमार को धारा-409, 467, 468 भा.दं.वि. में दो-दो वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी/अपीलार्थी वर्ष 1996-1997 में न्यायालय जे.एम.एफ.सी. गोहद एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद के न्यायालय में प्रवर्तन लिपिक के पद पर पदस्थ था।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि आरोपी/अपीलार्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में प्रवर्तन लिपिक के पद पर पदस्थ था, तब अभियुक्त/अपीलार्थी की शिकायत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड को उसके द्वारा लेख में कांट छांट कर जालसाजी करने के संबंध में की गयी थी, जिसपर तत्कालीन माननीय जिला न्यायाधीश महोदय भिण्ड द्वारा प्रारंभिक जांच कराई गयी और प्रारंभिक जांच में पाया कि

श्री के.के. शर्मा जे.एम.एफ.सी. गोहद के प्र.क्र.-66/96 के आरोपी अशोक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था, जिसे जमानत पर रिहा कि उसके मुचलके से 200 रुपये की राशि राजसात की गयी थी, किन्तु पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर उपरांत 200 रुपये काटकर 100 रुपये रसीद कटटा व फाइन रजिस्टर ए व बी में ओवर राइटिंग की गयी, जिसपर पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर नहीं होना पाये ।

4. प्र.क्र.-51/1997 राज्य विरुद्ध हरीबाबू में थाना गोहद चौराहा से धारा-279 व 337 भा.दं.वि. का अभियोग पत्र पेश किया गया था जिसमें 700 व 500 कुल 1200 रुपये अर्थदण्ड किया गया, जिसकी रसीद में भी अंक 7 को काटकर 6 व 1200 की जगह 1100 रुपये जमा किए गये और रसीद व चालान पंजी में भी कूटरचना की गयी तथा इसी प्रकार का कृत्य प्र.क्र.-50/1997 राज्य विरुद्ध प्रमोद में आरोपी/अपीलार्थी द्वारा बताया गया । प्र.क्र.-154/1997 राज्य विरुद्ध देवेन्द्र में जुर्माना 800 रुपये दर्ज किया गया है जिसका उल्लेख अर्थदण्ड पंजी अ में है किन्तु 8 अंक को काटकर 5 कर 500 रुपये चालान बुक दि.-20/10/1997 द्वारा जमा किए गये हैं, उपरोक्त राशि 300 रुपये का रिकॉर्ड रसीदें व फाईल भी आरोपी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयीं । इस प्रकार आरोपी द्वारा न्यायालय में जमा अर्थदण्ड की राशि को कांट छांट कर 600 रुपये गवन कर दस्तावेजों में कूट रचना की ।
5. प्रारंभिक जांच प्रमाणित पाये जाने पर मय प्रतिवेदन आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही हेतु श्री माधवराव घोडकी जे.एम.एफ.सी. गोहद को बंद लिफाफा भेजा जाकर जिला न्यायाधीश भिण्ड द्वारा कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया । जिसके पालन में श्री घोडकी जे.एम.एफ.सी. गोहद द्वारा थाना प्रभारी गोहद को उक्त बंद लिफाफा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत अपने ज्ञापन के साथ भेजा । जिसपर से थाना गोहद में अप.क्र.-68/1999 धारा-409, 467, 468 भा.द.वि. का प्रकरण आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया, एवं शेष अनुसंधान की कार्यवाही उपरांत अभियोगपत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया ।
6. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध धारा-409, 467, 468 भा.द.वि. के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपी/अपीलार्थी को धारा-409, 467, 468 भा.दं.वि. में दो-दो वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।
7. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि अ.सा.-3 के.के. शर्मा का कथन धारा-161 द.प्र.सं. के अंतर्गत नहीं लिया है, अभियोगपत्र के साथ न तो मूल दस्तोवज पेश किए गये न धारा-91 द.प्र.सं. के अंतर्गत आदेश पारित कर दस्तावेजों को तलब किया गया । अपीलार्थी शासकीय

सेवक था इस कारण धारा-197 के अंतर्गत बिना अनुमति अभियोगपत्र संस्तित नहीं किया जा सकता है । अपीलार्थी द्वारा विवादित राशि 22/1/1999 को 600 रुपये जमा ली गयी है तथा विभागीय जांच कर सेवा से पृथक कर दण्डित किया गया ऐसी स्थिति में पुनः दाण्डिक कार्यवाही हेतु अभियोजित किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि धारा-300 द.प्र.सं. के अंतर्गत एक अपराध के लिए ही बार दण्डित किया जा सकता है । दाण्डिक न्यायालय नियम 353 के अनुसार जुर्माना वसूलने का कार्य पीठासीन अधिकारी का है, लिपिक का नहीं है । इस कृत्य के लिए संबंधित पीठासीन अधिकारी जिम्मेदार हैं, अधिकारी ने पीठासीन अधिकारी को बचाने के लिए लिपिक को झूठा फंसाया है । विवादित रसीदें अभियुक्त ने ही काटी इस संबंध में किसी भी अन्य लिपिक का कथन नहीं कराया गया है, न हस्ताक्षरों की जांच करायी गयी है ।

8. घटना वर्ष 1996-97 की होना बतायी है, थाने पर सूचना 22/3/1999 को की गयी, इस बिलंब का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने बचाव साक्ष्य पेश करने की अनुमति न देकर दण्डादेश पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है । इस प्रकरण की शुरुवात न्यायालय उपाधीक्षक की रिपोर्ट पर से हुआ है, जो भी प्रकरण में पेश नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि व दण्डादेश को अपास्त कर आरोपीगण को दोषमुक्त किये जाने एवं जमाशुदा अर्थदण्ड की राशि वापिस कराये जाने की प्रार्थना की है ।

9. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है?

#### — निष्कर्ष के आधार —

10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया । प्रकरण में आरोपी/अपीलार्थी की ओर से अपील स्तर पर आरोपी के लंबे समय से अनुपस्थित रहने और प्रकरण पांच वर्ष अधिक पुराना होने के कारण आदेश दिनांक 26.02.15 को नियुक्त किये गये न्यायमित्र श्री प्रवीण गुप्ता एड0 द्वारा जो कि विधिक सहायता के तहत नियुक्त होने वाले अभिभाषकों की सूची में भी शामिल हैं, उन्होंने अपने तर्कों में अपील

ज्ञापन में लिये गये आधारों के अनुरूप ही मौखिक तर्क किये हैं जिसमें मूलतः यह आधार लिये गये हैं कि आरोपी/अपीलार्थी का सर्वप्रथम तो न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद के अधीन लिपिक होने तथा न्यासी के रूप में अर्थदण्ड रखने के लिये अधिकृत होना ही दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है और पद पर रहते हुए उसके द्वारा अर्थदण्ड की राशि का दुरुपयोग किया जाना प्रमाणित नहीं है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्री के०के० शर्मा अ०सा०-3 के कथन पर सर्वाधिक बल दिया है और महत्व दिया है। उनका धारा-161 द०प्र०सं० के तहत ही कोई कथन नहीं हुआ है जिससे आरोपेपी को पूर्वाग्रह (प्रीज्यूडिस) हुआ है। और मूल दस्तावेज तलब न किये जाने से जो दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं वे विधि अनुसार प्रमाणित नहीं हैं। जिसके संबंध में उन्होंने आपत्ति भी दिनांक 02.07.2003 को की थी तथा आरोपी/अपीलार्थी के शासकीय सेवक होने से धारा-197 द०प्र०सं० के तहत पूर्व अनुमति न लिये जाने से भी कार्यवाही दूषित है। यह तर्क भी किया है कि आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा जिस अर्थदण्ड की राशि का गबन बताया गया है वह उसने दिनांक 22.01.1999 को जमा कर दी थी। और उसे सेवा से पृथक भी कर दिया गया है। इसलिये एक ही अपराध के लिये दो सजाएँ धारा-300 द०प्र०सं० के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है जिसका पालन नहीं हुआ है।

11. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि अर्थदण्ड वसूली का कार्य पीठासीन अधिकारी का होता है जिसका लिपिक पर उत्तरदायित्व नहीं डाला जा सकता है। तथा जो गबन वर्ष 1996-97 का बताया गया है उसकी एफ०आई०आर० दिनांक 22.03.1999 को अत्यधिक विलंब से हुई है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है इसलिये एफ०आई०आर० विलंबित होने से भी घटना प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। तथा घटना का उद्भव न्यायालय उपाधीक्षक की जांच रिपोर्ट पर से बताया गया है जिसे जान-बूझकर छुपाया है और पेश नहीं किया है इसलिये अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा निर्मित की जानी चाहिए थी जिसका पालन नहीं हुआ है तथा 600/-रुपये अर्थदण्ड की राशि को देखते हुए जो दण्डादेश दिया गया है वह अत्यधिक कठोर श्रेणी का है इसलिये आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध विधिक रूप से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं है जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रमाणित मानकर गंभीर त्रुटि की है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आरोपी/अपीलार्थी को लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाये।

12. विद्वान ए०जी०पी० द्वारा अपीलार्थी की ओर से किये गये उक्त तर्कों का अपने तर्कों में खण्डन करते हुए यह व्यक्त किया है कि आरोपी/अपीलार्थी को सेवा से पृथक किन किन आधारों पर किया गया, उसका कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है इसलिये धारा-300 द०प्र०सं० की बाधा नहीं आती है। और व्यक्तिगत रूप से आपराधिक कृत्य करने पर धारा-197 द०प्र०सं० की भी बाधा नहीं आती है। जो दस्तावेज पेश किये गये हैं वह न्यायालय का अभिलेख है और उनका तो न्यायिक नोटिस भी लिया जा सकता है। इसलिये मूल दस्तावेजों

की ली गई आपत्ति भी बे-बुनियाद है। आरोपी/अपीलार्थी एक ओर से स्वयं को लिपिक होने से इन्कार करता है वहीं दूसरी ओर शासकीय सेवक होना स्वीकार करता है जो आपस में ही विरोधाभासी हैं और मौखिक आदेशों का उसने सहारा लिया है जो कि हास्यास्पद है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष देते हुए दोषसिद्धि कर दण्डित किया है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तथा दिया गया दण्डादेश आरोपी/अपीलार्थी के गंभीर कृत्य को देखते हुए कतई कठोर नहीं है बल्कि कम है, अधिक दण्डादेश होना चाहिए था क्योंकि न्यायालय के कर्मचारी से ईमानदारी और निष्ठा की अपेक्षा की जाती है।

13. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर यह विदित है कि मूल मामला आरोपी/अपीलार्थी के वर्ष 1996-97 के दरम्यान तत्कालीन जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री के०के० शर्मा के न्यायालय में प्रवर्तन लिपिक रहते हुए उसके द्वारा आपराधिक मामलों में होने वाले अर्थदण्ड मुचलका व जप्ती की राशियों में आदेशों के प्रतिकूल काटपीट, ओव्हर राईटिंग आदि करके शासकीय राशि के गबन का आक्षेप किया गया है जिस पर से उक्त मामला आधारित है। बचाव पक्ष की ओर से तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री के०के० शर्मा जे०एम०एफ०सी० गोहद को ही आरोपी ने उत्तरदायी ठहराते हुए इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से पत्राचार करना भी बताया है किन्तु कोई पत्राचार पेश नहीं किया गया है। जो बिन्दु उठाये गये हैं और जो कथानक है उसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना होगा। और यह देखना है कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों का विधि अनुरूप विवेचन कर निष्कर्ष निकाले हैं अथवा नहीं।

14. प्रकरण में अभियोजन की ओर से चार साक्षी पेश किये गये हैं और प्र०पी०-1 लगायत 18 के दस्तावेज पेश किये गये हैं। आरोपी/अपीलार्थी की ओर से मौखिक बचाव के आधार लिये गये हैं, कोई बचाव साक्ष्य अवसर प्राप्त करने के बाद भी पेश नहीं की गई है। इस संबंध में श्री के०के० शर्मा अ०सा०-3 ने अपने परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह सन् 1995 से अक्टूबर-97 तक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं अक्टूबर 1997 से आठ जून-1998 तक वर्ग-1 के रूप में गोहद में पदस्थ रहे थे। तथा इस अवधि में उनके द्वारा जे०एम०एफ०सी० के रूप में भी कार्य संपादित किया गया। महेन्द्र कुमार हिनोनिया उनके न्यायालय में प्रवर्तन लिपिक के पद पर पदस्थ रहा। दिनांक 26.11.96 को अधिवक्ता श्री रमेश यादव द्वारा आरोपी अशोक का जमानत आवेदन प्र०क्र०-66/96 इ०फौ० में लगाया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.96 को उसके पूर्व के मुचलके में से 200/-रुपये की राशि जप्त करने का आदेश दिया गया जिसके पालन में आरोपी अशोक द्वारा 200/-रुपये की राशि जमा की तथा प्र०क्र०-66/96 इ०फौ० की आदेशिका पत्रक दिनांक 26.11.96 प्र०पी०-3 एवं उसकी सत्य प्रति प्र०पी०-3 सी है जिसका पैसा रसीद नंबर-59 नंबर-9008 में जमा किया गया है जो प्र०पी०-4 है जिसकी छायाप्रति प्र०पी०-4 सी है जिस पर ए से ए भाग पर

उसके हस्ताक्षर हैं। कार्बन प्रति में 200/—रूपये जो राशि जमा की गई थी उसे काटकर 2 अंक की जगह 1 बनाया गया है। यह कृत्य उनके हस्ताक्षर के पश्चात किया गया है क्योंकि इस पर उनके कोई अधोहस्ताक्षर नहीं हैं।

15. अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कहा है कि प्र0पी0-3 की आदेश पत्रिका में संबंधित लिपिक द्वारा पुनश्च करके यह स्पष्ट ए से ए भाग में उल्लेख किया है कि आरोपी द्वारा 200/—रूपये जप्ती के जमा किये गये। तथा अर्थदण्ड पंजी बी में प्र0क0-66/96 अभियुक्त अशोक की राशि का 200/—रूपये का इन्द्राज किया गया है और उनके हस्ताक्षर करने के बाद 2 के अंक को काटकर 5 जगह एक किया गया। काटापीटी पर उनके अधोहस्ताक्षर नहीं कराये गये। अर्थदण्ड पंजी बी प्र0पी0-5 है जिसकी छायाप्रति प्र0पी0-5 सी है। अर्थदण्ड पंजी ए के सरल क्रमांक-135 प्र0क0-66/96 में आरोपी अशोक पुत्र रामस्वरूप में भी 200/—रूपये का इन्द्राज था। उनके हस्ताक्षर के समय उस पर कोई काटापीटी नहीं थी। 200/—रूपये को 100/— बाद में काटकर किया गया है और उस पर भी उनके अधोहस्ताक्षर नहीं हैं। अर्थदण्ड पंजी ए प्र0पी0-6 है जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्र0पी0-6 सी है। उक्त जप्तशुदा राशि चालान नंबर-5 दिनांक 27.11.96 को जमा की गई है जो संबंधित लिपिक ने अपने हस्ताक्षर से जमा की है। जिस पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं हैं। चालान प्र0पी0-7 है जिसकी छायाप्रति प्र0पी0-7 सी है। दिनांक 19-05-97 को पुलिस गोहद चौराहा द्वारा दूसरे आरोपी प्रमोद के विरुद्ध धारा-279,337 भा0दं0वि0 का चालान पेश किया गया था जो कि न्यायालय के प्र0क0-50/97 इ0फौ0 पर दर्ज हुआ। आरोपी प्रमोद की स्वीकृति के आधार पर आरोपी को धारा-279 भा0दं0वि0 में 700/—रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा-337 भा0दं0वि0 में 500/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

16. इसी साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि उक्त प्रकरण की आदेश पत्रिका प्र0पी0-8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त आदेश पत्रिका संबंधित लिपिक द्वारा अपने हाथों से लिखी है और उस समय कोई काटापीटी नहीं की गई है जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्र0पी0-8 सी है। उक्त प्रकरण का निर्णय प्र0पी0-9 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसकी सत्य प्रति प्र0पी0-9 सी है। इस निर्णय की जुर्माना राशि के संबंध में कोई काटपीट नहीं है। उक्त आरोपी की ओर से रसीद कट्टा नंबर-9031 रसीद क्र0-60 से जमा की गई जो प्र0पी0-10 है जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्र0पी0-10 सी है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर एवं जुर्माने की राशि 700 एवं 500 कुल 1200 रुपये जमा की गई थी। हस्ताक्षर उपरान्त 700 में 7 के अंक को काटकर 6 बनाया गया है। तथा 1200 में 12 के अंक को काटकर 11 किया गया है। साथ ही अंकों में जो 1200 रुपये लेख हैं उसको भी काटकर 11 करने का प्रयास किया गया है। यह काटपीट उनके हस्ताक्षर उपरान्त की गई है क्योंकि इस काटपीट पर उनके कोई

अधोहस्ताक्षर नहीं हैं।

17. इस साक्षी ने यह भी अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि अर्थदण्ड पंजी ए में सरल क्रमांक-86 पर आरोपी प्रमोद के द्वारा जो राशि जमा की गई थी, उसके हस्ताक्षर के समय 1200/-का इन्द्राज था। हस्ताक्षर उपरान्त प्रत्येक 2 के अंक को काटकर 11 किया गया है जिन पर उनके कोई अधोहस्ताक्षर ही नहीं हैं। उक्त साक्षी के द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों की कण्डिका-5 में यह भी व्यक्त किया गया है कि उसी दिनांक को थाना गोहद चौराहा द्वारा आरोपी हरी के विरुद्ध धारा-279, 337 भा0दं0वि0 के तहत चालान पेश किया गया जिसका प्र0क्र0-51/97 इ0फौ0 है। उपरोक्त प्रकरण में आरोपी की स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा-279 भा0दं0वि0 में 700/-रूपये और धारा-337 भा0दं0वि0 में 500/-रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया जिसकी आदेश पत्रिका संबंधित लिपिक द्वारा लिखी गई है जो प्र0पी0-12 है जिसकी सत्य प्रति प्र0पी0-12 सी है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त आदेशिका पत्रक की जुर्माना राशि में कोई काटापीटी का उल्लेख नहीं है जिसका निर्णय उसी दिनांक को पारित किया गया जो प्र0पी0-13 है जिसकी सत्य प्रति प्र0पी0-13 सी है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त निर्णय की जुर्माना राशि में कोई काटापीटी नहीं की गई है। इस आरोपी/अपलार्थी के द्वारा रसीद कट्टा क्रमांक-9031 रसीद क्रमांक-61 से 1200/-रूपये जमा किये गये थे जिसकी कार्बन प्रति प्र0पी0-14 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसकी सत्य प्रति प्र0पी0-14 सी है। कार्बन रसीद में हस्ताक्षर से पूर्व 700 एवं 500 कुल 1200 का इन्द्राज था। यह राशि अंकों में भी 1200/-रूपये लिखी गई थी। हस्ताक्षर उपरान्त 700/-में से 7 के अंक को काटकर उसके बगल में 6 बनाया गया है। इसी प्रकार अंकों में 1200 के स्थान पर काटपीट कर 1100/-रूपये किया गया है। काटपीट पर उनके कोई अधोहस्ताक्षर नहीं हैं। इस साक्षी के द्वारा अपने कथन के पश्चातवर्तीय क्रम में यह भी व्यक्त किया गया है कि उपरोक्त राशि को अर्थदण्ड पंजी ए में सरल क्रमांक-87 पर उसके हस्ताक्षर के सामने 1200 का इन्द्राज किया गया था किन्तु हस्ताक्षर उपरान्त 1200 में से 2 के अंक को काटकर 1 बनाया गया है जिन पर उनके कोई अधोहस्ताक्षर नहीं हैं। रजिस्टर प्र0पी0-11 है जिसकी छायाप्रति प्र0पी0-11 सी है।

18. इस साक्षी ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि चालान की राशि जमा होने पर जो अर्थदण्ड पंजी-बी में इन्द्राज किया गया है उसके संबंध में आरोपी प्रमोद और हरीबाबू की जुर्माना राशि के लिये उसके कोई हस्ताक्षर नहीं कराये गये। अर्थदण्ड पंजी प्र0पी0-15 है जिसकी सत्य प्रति प्र0पी0-15 सी है। इन आरोपीगण की जुर्माने राशि प्र0पी0-16 के चालान बुक से जमा की गई जिसका चालान नंबर-6 है। उक्त चालान के योग की राशि जो भरी गई है उस पर उनके हस्ताक्षर के उपरान्त ओव्हराइटिंग की गई है। उपरोक्त काटपीट तीन जगह है। उस पर उनके कोई अधोहस्ताक्षर नहीं हैं। चालान की प्रति प्र0पी0-16 सी है। इस साक्षी को प्रतिपरीक्षण में चुनौती दी गई है



जिसके अंतर्गत महेन्द्र हिनोनिया के अवकाश पर जाने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्य कराया जाता था, इस सुझाव को साक्षी द्वारा इंकार कर यह बताया गया है कि जब कोई कर्मचारी अवकाश पर जाता है तो अपने संबंधित साथी को मात्र उसी दिन की फाईलें पूर्व से देकर जाते हैं।

19. इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-10 में यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण में यह भी चुनौती दी गई है कि उपरोक्त रसीद काटी गई तब उस समय वह उपस्थित नहीं था। बल्कि किन्हीं अन्य व्यक्तियों के द्वारा रसीदें काटी गई हैं किन्तु अभियुक्त के अधिवक्ता का यह सुझाव इसलिये उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उपरोक्त साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में ही जितनी जुर्माना राशि जमा की गई है, अभियुक्त/अपीलार्थी महेन्द्र हिनोनिया द्वारा स्वयं आदेशिका पत्रक लेख की गई है और उपरोक्त बिन्दु पर प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई जिससे उपरोक्त साक्ष्य अखण्डित हो जाती है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण में दिये गये कथनों से प्रतिपरीक्षण में भी इन्कार नहीं किया है बल्कि उपरोक्त सभी आदेश पत्रक एवं जुर्माना राशि से संबंधित प्रकरण रसीद कट्टा अर्थदण्ड पंजी ए एवं बी एवं चालान पर महेन्द्र हिनोनिया द्वारा ही अपने हाथों से लेख किया है,

20. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-12 में व्यक्त किया है किन्तु अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-13 एवं अन्य में यह सुझाव दिया गया है कि न्यायाधीश के द्वारा मौखिक रूप से 200/- के स्थान पर 100/- रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था जिसे साक्षी द्वारा इंकार किया गया है किन्तु उपरोक्त सुझाव से अभियुक्त को कोई लाभ इस कारण प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि न्यायालय में कोई भी कार्यवाही मौखिक रूप से नहीं की जाती बल्कि प्रत्येक कार्यवाही का विधिवत रूप से आदेशिका पत्रक में उल्लेख कर इन्द्राज किया जाता है। तर्क के लिये एक बार मौखिक रूप से कहा था, मान भी लिया जावे और यदि ऐसा होता तो पीठासीन अधिकारी उस पर लघु हस्ताक्षर अवश्य ही करते और एक बार मना करने पर एक बार की गई भूल को सद्भावना के आधार पर हुई है, कहा जा सकता था किन्तु बार बार राशि के संबंध में संबंधित रिकॉर्ड पर काटपीट करना सद्भावनापूर्वक त्रुटि है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण में यह भी सुझाव दिया गया है कि जिस दिन रसीद काटी गई उपरोक्त काटपीट की जानकारी साक्षी को उसी दिन हो गयी थी किन्तु उस समय उनकी ही मौखिक सहमति थी इस कारण कोई शिकायत पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं की गई, के सुझाव को उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-11 में इन्कार कर उपरोक्त रसीद कट्टा, फाईन रजिस्टर, चालान बुक आदि में काटछांट की जानकारी हुई तब उनका स्थानांतरण गोहद से हो गया था और उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायालय उपाधीक्षक की इन्स्पेक्शन रिपोर्ट प्राप्त हुई और उसके तारतम्य में माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से यह दस्तावेज मंगाये गये तब उन्हें उपरोक्त काटपीट की



जानकारी हुई थी, ऐसा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-11 में स्वीकार कर अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी काटापीटी की जाती थी जिसकी जानकारी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड को दिनांक 19.03.98 को की गई थी जिसकी छायाप्रति प्र0पी0-17 है, ऐसा साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-13 में स्वीकार किया है।

21. इस साक्षी ने यह भी प्रतिपरीक्षण में बताया है कि प्र0पी0-17 के माध्यम से उपरोक्त साक्षी श्री के0के0 शर्मा जे0एम0एफ0सी0 द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को अभियुक्त/अपीलार्थी महेन्द्र हिनोनिया द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों में काटपीट करने के अलावा अन्य कृत्य जिसमें आदेशिका पत्रक के दिनांक को काटपीट कर बदलने का प्रयास करने एवं प्रकरणों का बोर्ड डायरी में इन्द्राज कर फाईलों को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रकरणों को प्रस्तुत न करने, आदेश पत्रिका काफी समय से न लिखी जाना, न ही बोर्ड डायरी के बढ़ाने आदि की शिकायत प्र0पी0-17 के पत्र के माध्यम से की गई थी जिससे उपरोक्त साक्षी के कथनों को ही समर्थन प्राप्त होता है। तथा कुछ राशि जिस पर काटापीटी कर 100-100 रुपये की राशि का अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा गबन कर दस्तावेजों में कूट रचना की गई है, उसके इन्द्राज से बचने के लिये चालान द्वारा राशि जमा की जाती है किन्तु चालान प्र0पी0-7 पर अभियुक्त द्वारा पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये जबकि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा स्वयं प्र0पी0-7 का चालान स्वयं के हस्ताक्षरों से जमा कराया गया है जबकि निष्पादन लिपिक को चालान की राशि जमा करने हेतु कोई अधिकार नहीं है। ऐसा उक्त साक्षी अ0सा0-3 श्री के0के0 शर्मा द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-14 में स्वीकार किया गया है तथा इसी तरह प्र0पी0-16 की चालान राशि जमा होने के बाद अभियुक्त द्वारा एकाउण्ट बी पंजी पर किये गये। इन्द्राज जिस पर राशि जमा की गई है, पर भी उनके हस्ताक्षर नहीं कराये गये किन्तु उस पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है। चूंकि आरोपी के मन में बदयान्ति थी और उसके द्वारा कम राशि जमा की गई थी इसलिये उसने अर्थदण्ड पंजी-बी पर हस्ताक्षर नहीं कराये और यह इन्द्राज रजिस्टर की अंतिम लाईन में था। अगला इन्द्राज दूसरे पृष्ठ पर हुआ, पेज पलट जाने के कारण यह तथ्य उपरोक्त साक्षी की जानकारी में नहीं आ सका। ऐसा उपरोक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-15 में स्वीकार किया है जिससे भी साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये कथनों को समर्थन प्राप्त होता है जिससे अभियोजन के दस्तावेजों को बल प्राप्त होता है।

22. इस साक्षी को प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई विशेष चुनौती या सुझाव नहीं दिये गये जिससे उनके द्वारा मुख्य परीक्षण पर दी गई साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके बल्कि साक्षी द्वारा प्र0पी0-3 लगायत 17 के माध्यम से साक्षी द्वारा दिये गये कथनों की पुष्टि उपरोक्त दस्तावेजों से होती है। इस साक्षी को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-17 में यह सुझाव दिया गया है कि उनकी बहन की शादी में उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी महेन्द्र से घी का टीन मांगा था, न देने पर झूठा कथन दे रहा है जिसे साक्षी द्वारा इन्कार किया गया है किन्तु

उपरोक्त सुझाव के समर्थन में अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे उपरोक्त सुझाव को समर्थन प्राप्त हो सके।

23. उक्त साक्षी अ0सा0-3 श्री के0के0 शर्मा द्वारा प्र0पी0-17 के माध्यम से की गई शिकायत एवं अन्य शिकायतों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने का आदेश माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड द्वारा किया गया तथा उपरोक्त जांच हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड से पत्र दिनांक 06.11.98 को साक्षी श्री डी0के0 पालीवाल अ0सा0-4 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के रूप में पदस्थ थे। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के पत्र दिनांक 06.11.98 के पालन में श्री डी0के0 पालीवाल अ0सा0-4 द्वारा प्रारंभिक जांच कर प्रतिवेदन प्र0पी0-18 की रिपोर्ट दी गई। प्रारंभिक जांच के आधार पर महेन्द्र कुमार हिनोनिया आरोपी/अपीलार्थी द्वारा शासकीय राशि का गबन किये जाने तथा शासकीय अभिलेखों में कूटरचना की जाना पाई गई तथा उसके विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-409, 467, 468 के अंतर्गत अभियोजन किये जाने की अनुसंशा की गई जिनके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र0पी0-18 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। ऐसा श्री डी0के0 पालीवाल अ0सा0-4 द्वारा अपने परीक्षण में व्यक्त किया गया है। उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण में चुनौती दी गई है जिसके अंतर्गत प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में साक्षी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोहद में नियुक्ति पत्र का कोई आदेश अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, स्वीकार किया गया है जिसका लाभ अभियुक्त को दिये जाने की प्रार्थना अंतिम तर्क के दौरान की गई।

24. अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क इसलिये उचित प्रतीत नहीं होता है कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय की पद स्थापना एवं नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शासकीय राजपत्र में सूचना जारी की जाती है और ऐसी सूचना सर्वसाधारण को विदित होती है, यह उपधारणा मानी जावेगी। उपरोक्त साक्षी को यह भी प्रतिपरीक्षण में चुनौती दी गई है कि जिन अभियुक्तों के विरुद्ध अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित की गई थी उनके अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र यादव द्वारा पहचान की गई थी या नहीं। तथा अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र यादव द्वारा पहचान की गई थी या नहीं। तथा अधिवक्ता श्री यादव के द्वारा मौखिक रूप से 200/- रुपये के स्थान पर कम राशि ही करने का निवेदन किया गया है, के बारे में प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में अनभिज्ञता प्रकट की गई है किन्तु न्यायिक कार्यवाही मौखिक निवेदन स्वीकार योग्य नहीं होता बल्कि जो भी आदेश पारित किये जाते हैं उन्हें ही मान्य किया जाता है। और मौखिक आदेश को प्रवर्तन लिपिक मानने से इन्कार कर सकता है किन्तु प्रकरण में ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा स्वयं के द्वारा अथवा आदेश पत्रक में 200/-रुपये की रसीदें काटी जाती किन्तु अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा लेख की गई आदेश पत्रक में 200/-रुपये स्वयं के द्वारा अभियुक्त ने जमा किये, स्वयं के द्वारा लेख किया गया है जिससे स्वयं ही उपरोक्त सुझाव सारहीन हो जाता है।

25. इसके अतिरिक्त उपरोक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में प्र0पी0-4 में बी से बी भाग पर अस्पष्ट लिखा हुआ था। प्र0पी0-4 में ओव्हरराइटिंग के संबंध में नहीं लिखा है किन्तु सी से सी भाग पर ओव्हरराइटिंग स्पष्ट दिखाई देती है जिसका उल्लेख उनके द्वारा अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में किया गया है की पुष्टि में अ0सा0-4 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में स्वीकार किया है तथा चालान क्रमांक-7 के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्र0पी0-18 के पैरा-5 में कांटछांट करने के संबंध में पैरा-5 के प्रकरण क्रमांक-66/96 के बारे में तथा पैरा क्र0-10 में 1200/- के स्थान पर 1100/- रुपये किये गये हैं। रिपोर्ट में पैरा-10 में विस्तृत रूप से उल्लेख किया है तथा प्रतिवेदन के पैरा-11 में प्र0क्र0-154/97 में राज्य वि0 देवेन्द्र का प्रकरण अभिलेखागार में जमा होना नहीं पाया गया इस कारण उसके कथन नहीं लिये गये। तथा चालान क्र0-9 दिनांक 21.10.97 में 500/-रुपये के संबंध में अर्थदण्ड पंजी अ में अभियुक्त प्रमोद के स्थान पर देवेन्द्र का नाम लिखा गया है। तथा देवेन्द्र पर 800/-रुपये जुर्माना किया गया था। उसके स्थान पर ओव्हरराइटिंग करके 8 के स्थान पर 5 किया गया है जिसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट प्र0पी0-18 के पैरा-11 में किया जाकर प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-5 में व्यक्त किया गया है जिससे प्र0पी0-3 लगायत प्र0पी0-17 जो श्री के0के0 शर्मा अ0सा0-3 द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा उनके संबंध में अ0सा0-3 द्वारा जो कथन न्यायालय में दिये गये हैं उनका समर्थन श्री डी0के0 पालीवाल अ0सा0-4 द्वारा जो कथन न्यायालय में दिये गये कथनों के साथ साथ उनके द्वारा दी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्र0पी0-18 के माध्यम से तथा न्यायालय में प्रतिपरीक्षण में दी गई चुनौतियों से भी अ0सा0-3 के कथनों को समर्थन प्राप्त होता है। तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-16 में उपरोक्त साक्षी को यह सुझाव दिया गया है जिसके अंतर्गत उनका कथन दिनांक 07.07.01 को लिये थे, स्वीकार कर अपने पुलिस कथन में अभियुक्त/अपीलार्थी ने किस दस्तावेजों में कांटछांट की, कितनी राशि का गबन किया, पुलिस कथन में उल्लेख नहीं है, को स्वीकार किया है।

26. चूंकि प्रारंभिक जांच अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध की गई थी और रिपोर्ट अभियुक्त तक ही सीमित थी इसलिये तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध इस संबंध में लिखे जाने का प्रश्न ही नहीं होता। ऐसा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-16 में साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री डी0के0पालीवाल अ0सा0-4 को प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त सुझाव के अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई विशेष चुनौती या सुझाव नहीं दिये गये जिससे उनके द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये कथनों और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्र0पी0-18 पर अविश्वास किया जा सके। बल्कि अभियुक्त द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य की पुष्टि उपरोक्त दोनों साक्षियों के कथनों से हो जाती है।

27. बचाव पक्ष की ओर से जो अपील ज्ञापन में आधार लिये हैं और उसी अनुसार जो तर्क किये गये हैं उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो आरोपी/अपीलार्थी एक ओर तो स्वयं को शासकीय सेवक होने से इन्कार नहीं करता वहीं दूसरी ओर अपील ज्ञापन में जे0एम0एफ0सी0

गोहद में लिपिक होकर अर्थदण्ड का न्यासी होने के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण की आपत्ति लेता है जबकि दूसरी ओर वह श्री के०के० शर्मा अ०सा०-3 के संबंध में यह कहता है कि उनके मौखिक निर्देश पर अर्थदण्ड कम किये गये। इससे ही उसके प्रवर्तन लिपिक होने और उसी हैसियत से अर्थदण्ड का न्यासी होने के तथ्य की पुष्टि होती है। जहाँ तक उसका यह कहना रहा है कि प्रकरण में घटना का उद्भव न्यायालय उपाधीक्षक श्री डी०आर० छिप्पी का कथन नहीं कराया गया है। और तत्कालीन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री ए०के०सेलट साहब का कथन नहीं कराया गया है इसलिये उसका लाभ उसे दिया जावे। यह तथ्य इस आधार पर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि श्री छिप्पी और श्रीमान सेलट साहब के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई थी इसलिये उनके कथनों की आवश्यकता नहीं थी जो कि उचित है।

28. इसके अलावा अभिलेख पर प्र०पी०-18 का प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन श्री डी०के० पालीवाल तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोहद द्वारा तैयार किया गया है जिसे पेश भी किया है और प्रदर्शित भी हुआ है। और उनकी साक्ष्य से उसे प्रमाणित भी कराया गया है। इसलिये उक्त बिन्दु का स्वमेव ही खण्डन है और न्यायालय उपाधीक्षक के कथन न होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है। न ही तत्कालीन जिला न्यायाधीश महोदय के अभिसाक्ष्य की प्रकरण में कोई आवश्यकता थी। क्योंकि प्र०पी०-2 लगायत 18 के जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर प्र०पी०-1 की एफ०आई०आर० में बताई गई घटना की पुष्टि होती है। जिसके संबंध में अभिलेख पर श्री एम०पी० शर्मा अ०सा०-1 एवं श्री माधवराव घोडकी अ०सा०-2 ने स्पष्ट अभिसाक्ष्य दी है। और यह भी बताया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के कार्यालय से एक पत्र श्री माधवराव घोडकी अ०सा०-2 को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र को दिनांक 18.01.99 को ही जो शीलबंद लिफाफे में था, थाना प्रभारी गोहद की ओर अपने ज्ञापन पत्र प्र०पी०-2 सहित संबंधित थाने को भेज दिया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। ऐसा श्री माधवराव घोडकी अ०सा०-2 द्वारा अपने परीक्षण में व्यक्त किया गया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने बंद लिफाफा थाना प्रभारी की ओर अपने कवरिंग लैटर सहित भेजा था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई चुनौती नहीं दी गई जिससे कि प्र०पी०-2 पर अविश्वास किया जा सके।

29. उपरोक्त भेजे गये पत्र प्र०पी०-2 के आधार पर थाना प्रभारी एम०पी० शर्मा अ०सा०-1 द्वारा जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री माधवराव घोडकी द्वारा जो पत्र प्राप्त हुआ था उसके आधा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-1 उसी के द्वारा लेख की गई थी जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और उपरोक्त पत्र प्रकरण में संलग्न है तथा श्री माधवराव घोडकी द्वारा दिया गया पत्र प्र०पी०-2 है। प्रकरण की विवेचना उसने स्वयं अपने पास रखी थी तथा विवेचना के दौरान श्री माधवराव घोडकी जे०एम०एफ०सी० के कथन अंकित किये थे।

अग्रिम विवेचना किसी अन्य व्यक्ति को दे दी गई थी। ऐसा एम0पी0शर्मा अ0सा0-1 ने अपने परीक्षण में व्यक्त किया है तथा उपरोक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में उसका पूरा नाम महादेव प्रसाद शर्मा है। माताप्रसाद शर्मा नहीं है किन्तु अभियोग पत्र की साक्ष्य सूची में माताप्रसाद नाम लिखा है स्वीकार किया है जिसका लाभ अभियुक्त को प्रदान किये जाने की प्रार्थना अंतिम तर्क के दौरान की गई किन्तु साक्ष्य सूची का अभियोग पत्र उपरोक्त साक्षी द्वारा नहीं काटा गया बल्कि उपरोक्त अभियोग पत्र वाय0एन0एस0 भदौरिया द्वारा काटा गया है उनके द्वारा उपरोक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस कारण एम0पी0शर्मा के स्थान पर माताप्रसाद शर्मा मानव त्रुटि के अंतर्गत लेख कर दी गई है जिससे अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। उपरोक्त साक्षी ने प्र0पी0-1 की रिपोर्ट में कॉलम नंबर-13 में सूचनाकर्ता के रूप में स्वयं का नाम लिखा होकर प्र0पी0-1 पर उसने ही हस्ताक्षर किये हैं और प्र0पी0-2 की हूबहू नकल प्र0पी0-1 में की थी।

30. प्र0पी0-2 के साथ एक सीलबंद लिफाफा प्राप्त हुआ था। पत्र के साथ जो बंद लिफाफा था उसमें न्यायालय की जांच रिपोर्ट एवं पत्र था अन्य दस्तावेज नहीं थे, व्यक्त किया गया है। पश्चातवर्ती क्रम में विवेचना के दौरान सभी दस्तावेजों की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि विवेचना अधिकारी को प्रदान की गई तथा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान प्र0पी0-3 लगायत 16 के असल दस्तावेज भी पेश किये गये थे जिससे संबंधित मूल प्रकरण एवं रसीद कट्टा भी उसी प्रकरण के साथ संलग्न थे, के आधार पर अ0सा0-3 व 4 द्वारा उन दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया है। चूंकि गबन के मामले में धारा-409 भा0दं0वि0 की कायमी होती है किन्तु रिकॉर्ड में हेराफेरी व काटा पीटी की गई थी। इस कारण अ0सा0-1 ने धारा-467, 468 का प्रकरण भी पंजीबद्ध किया था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-5 व 6 में स्वीकार किया है जिससे अभियोजन के दस्तावेजों को ही समर्थन प्राप्त होता है। श्री माधवराव घोडकी के कथन दिनांक 11.08.99 को लंच के समय लिये थे। रिपोर्ट एवं पुलिस कथन स्वयं के द्वारा ही लेख किये गये हैं, स्वीकार कर थाने पर बैठकर बयान काटा है, के सुझाव को इन्कार कर केसडायरी जो अनुसंधान हेतु रखी थी वह वाईडिंग थी, लूज पेपर नहीं थे। ऐसा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में स्वीकार किया है। उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है जिससे उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये कथनों पर अविश्वास किया जा सके।

31. जहाँ तक श्री के0के0 शर्मा अ0सा0-3 के पुलिस कथन न होने से आरोपी को पूर्वाग्रह होने का बिन्दु उठाया गया है, वह भी मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा-161 द0प्र0सं0 के अंतर्गत लिपिबद्ध होने वाले पुलिस कथनों का उपयोग केवल धारा-162 द0प्र0सं0 के अंतर्गत ही किया जा सकता है और उसे पूर्वाग्रह नहीं माना जा सकता है। चूंकि जिन न्यायालयीन कार्यवाहियों के आधार पर अर्थदण्ड और मुचलका राशि की वसूली में काटपीट व ओव्हराईटिंग करके उपर वर्णित मुताबिक कूटरचना की गई है, उसे देखते हुए

न्यायिक अभिलेख का ज्यूडीशियल नोटिस लिया जा सकता है। ऐसे में उनके संबंध में भी आपत्ति बे-बुनियाद है और मूल से प्रतिलिपियों को प्रदर्शित किया गया है। इसलिये यह आक्षेप अभिलेख के प्रतिकूल है कि मूल तलब नहीं किये गये हैं। जहाँ तक धारा-197 द0प्र0सं0 का आधार लिया गया है कि पदीय हैसियत से कोई अपराध होने पर बाधा मानी जाती है जबकि हस्तगत मामले में पदीय हैसियत से परे जाकर शासकीय राशि का गबन अभिलेख में कूटरचना करके किया गया है। ऐसे में धारा-197 द0प्र0सं0 की बाधा नहीं है। और प्रकरण का विभागीय स्तर पर कार्यवाही होने के पश्चात अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। ऐसे में एफ0आई0आर0 को भी विलंबित नहीं माना जा सकता है क्योंकि जिन अपराधों का आक्षेप है उसके संबंध में कोई समयावधि उपबंधित नहीं है। क्योंकि उत्पन्न अपराध तीन वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है। तथा विभागीय पत्राचार विलंब का संतोषप्रद कारण है इसलिये एफ0आई0आर0 विलंबित नहीं मानी जा सकती है और ली गई आपत्ति बे-बुनियाद है।

32. जहाँ तक यह प्रश्न है कि एक अपराध के लिये दो दण्ड नहीं दिये जा सकते हैं जैसा कि धारा-300 द0प्र0सं0 में उपबंधित है लेकिन अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इसी अपराध के कारण आरोपी/अपीलार्थी को सेवा से पृथक किया गया हो। बल्कि प्र0पी0-17 का जो पत्र अ0सा0-3 श्री के0के0 शर्मा द्वारा तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को लिखा गया था उसमें दो दो वर्ष तक आपराधिक मामलों की आदेश पत्रिकाएँ न लिखी जाना, बोर्ड डायरी में उनकी प्रविष्टि न की जाने सहित अनेक आक्षेप किये गये थे। और किन किन आधारों पर सेवा से पृथक किया गया है, ऐसा अभिलेख पर नहीं है।

33. आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा बचाव में जो रुपये पैसे की ओव्हरराइटिंग और काटपीट हुई है, उसे हास्यास्पद रूप से तत्कालीन जे0एम0एफ0सी0 श्री के0के0 शर्मा के मौखिक निर्देशों को सहारा बनाया गया है जबकि वैधानिक रूप से न्यायिक कार्यवाही में मौखिक आदेश नहीं होते हैं बल्कि सभी आदेश सकारण और लिखित रूप से होते हैं। तथा जो ओव्हरराइटिंग बताई गई है वह रसीद बुक के अलावा, चालान बुक, अर्थदण्ड पंजी ए एवं बी दोनों में भी हुई है। अर्थदण्ड पंजी ए एवं बी प्रक्रिया मुताबिक बाद में तैयार की जाती हैं क्योंकि सबसे पहले अर्थदण्ड या मुचलका जप्ती होने पर रसीद बुक में प्रविष्टि की जाती है बाद में उसे चालान से जमा किया जाता है और अर्थदण्ड पंजी अ में प्रविष्टि की जाती है। चालान जमा होने के बाद अर्थदण्ड पंजी ब में प्रविष्टि होती है। और सभी में काटपीट ओव्हरराइटिंग होना इस बात का द्योतक है कि यह बाद में ही एकसाथ आरोपी/अपीलार्थी जो कि उक्त पंजीयों का संधारणकर्ता होकर कस्टोर्डियन था, उसके द्वारा ही किया गया है जिससे शासकीय राशि का आपराधिक दुर्विनियोग एवं शासकीय अभिलेख में की गई कूटरचना और उसे सही के रूप में उपयोग में लाने के अपराध को उक्त परिस्थितियों में समर्थन मिलता है।

34. जहाँ तक यह प्रश्न है कि आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा दिनांक



22-01-99 को रसीद क्रमांक-5 बुक क्रमांक-29036 के द्वारा 600/-रुपये जमा कर दिये गये। उससे अपराध की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है बल्कि उससे अभियोजन के मामले को ही बल प्राप्त होता है।

35. धारा-409 भा0दं0वि0 के अनुसार जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति, या संपत्ति पर कोई भी अख्त्यार अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा। तथा धारा- 467 भा0दं0वि0 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या बिल या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण का, या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिये जाने की अभिस्वीकृति करने वाला, निस्तारण पत्र या रसीद होना, या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिये निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूटरचना करेगा। तथा धारा-468 भा0दं0वि0 के अनुसार जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, छल के प्रयोग से उपयोग में लाई जावेगी।
36. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर आई साक्ष्य और उसके विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विश्लेषण के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। तथा आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि उसने वर्ष 1996-97 में जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री के0के0 शर्मा के न्यायालय में प्रवर्तन लिपिक के रूप में लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपने कर्तव्य के अनुसरण में न्यायिक प्रकरणों में प्राप्त हुई अर्थदण्ड की राशि व मुचलका जप्ती की राशि जिसका विवरण उपर आया है, को अपने में न्यस्त होते हुए कुल 600/-रुपये की शासकीय राशि को बेईमानी से आपराधिक दुर्विनियोग करके अथवा उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यासभंग कारित किया। और उससे संबंधित रसीद बुक, चालान बुक, अर्थदण्ड पंजी-अ तथा ब में उनकी प्रविष्टियों में कूटरचना की। तथा उक्त कूटरचना छल के प्रयोजन से की गई जिससे धारा-409, 467 व 468 भा0दं0वि0 के अपराधों में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई दोषसिद्धि पूर्णतः तथ्यों व परिस्थितियों एवं साक्ष्य पर आधारित होकर विधिक है। और उसके संबंध में दाण्डिक अपील में लिये गये आधार व उठाये गये बिन्दु निर्वल हैं। फलतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन मानते हुए निरस्त की जाती है।
37. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, अपीलार्थी की ओर से यही आधार लिया गया है कि उसके द्वारा अर्थदण्ड जमा कर दिया गया है



ऐसे में अपराध नहीं बनता था। तथा उसे सेवा से पृथक भी कर दिया गया है। इसलिये एक अपराध के लिये दो दण्ड नहीं हो सकते हैं। इस आधार पर नरम रुख अपनाये जाने की प्रार्थना की गई है जिसका ए0जी0पी0 द्वारा विरोध किया गया जिस पर विचार किया गया। उपरोक्त आपराधिक मामला एक न्यायिक कर्मचारी द्वारा अंजाम दिया गया है और न्यायालय के प्रति आम जनता का अत्यधिक विश्वास है जिसको अक्षुण्ण बनाये रखना भी आवश्यक है। ऐसे में अपराध को निम्न श्रेणी का नहीं माना जा सकता है बल्कि गंभीर स्वरूप का है क्योंकि यदि ऐसे अपराधों में उदारता बरती गई तो फिर न्यायिक गरिमा क्षीण हो जावेगी और उसका पूरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा।

38. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-409, 467, एवं 468 भा0दं0वि0 के अपराधों के लिये दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है जो अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए कतई अत्यधिक श्रेणी का नहीं है। विद्वान ए0जी0पी0 के द्वारा कम दण्डादेश बताया गया है किन्तु शासन की ओर से दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं थी इसलिये दिये गये दण्डादेश से अधिक दण्डादेश देने में अपीलार्थी न्यायालय समर्थ नहीं है। ऐसे में दण्डादेश के संबंध में आरोपी/अपीलार्थी की प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन पाते हुए निरस्त की जाती है और दण्डादेश की भी यथावत पुष्टि की जाती है।

39. आरोपी/अपीलार्थी के अपील प्रकरण में प्रस्तुत किये गये जमानत मुचलके जप्त हो चुके हैं। और धारा-446 द0प्र0सं0 के तहत पृथक से विविध आपराधिक प्रकरण आरोपी/अपीलार्थी महेन्द्र हिनोनिया के विरुद्ध संचालित है। किन्तु उसके जमानतदार रमेश चन्द्र पुत्र प्रभूदयाल जाट निवासी बगुली गुंसाई जिला श्योपुर के विरुद्ध विविध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है अतः उक्त जमानतदार के विरुद्ध भी विविध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे एवं उसे नोटिस जारी किया जावे।

40. प्रकरण में मूल प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों के बाबत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय की कण्डिका-33 को भी यथावत रखा जाता है।

41. आरोपी/अपीलार्थी की सभी सजाएँ एकसाथ भुगताये जाने के आदेश की भी पुष्टि की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय की ओर मूल अभिलेख व निर्णय की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित हो कि उसे सजा भुगताये जाने हेतु विधिवत कार्यवाही कर जेल भेजा जावे जिसका धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र भी न्यायिक निरोध की अवधि समायोजित किये जाने हेतु संलग्न कर भेजी जावे।

दिनांक: **23.03.2015**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड